

प्रेषक -

जनसूचना अधिकारी-कम-सचिव,  
जिला रैडक्रास सोसायटी, हिसार।

प्रेषित -

श्री संदीप कुमार गुप्ता,  
मकान नं.-1722, सैक्टर-14  
हिसार-125001

पत्र क्रमांक-RC/2020-21/770 दिनांक 27/8/2020

विषय : **Seeking of information under RTI act.**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आप द्वारा मांगी गई वांछित सूचना निम्न प्रकार से है:-

Sr. No.	Particulars	Answer
2.	Bank account details (account number, account holder name, bank name, IFSC code) in which the amounts collected as application fee or as additional fee under RTI act are deposited by your office.	कृपया इस कार्यालय को अवगत करवाने का कष्ट करे कि आप द्वारा संस्था के खाते का विवरण किस उद्देश्य से मांगा जा रहा है।
3.	Certified details of the SPIOs/AAs appointed under RTI act to deal with the applications received in you? office	जनसूचना अधिकारी-कम-सचिव जिला रैडक्रास सोसायटी हिसार।
4.	Please supply the certified copy of the documents showing procedure followed (proposals, file noting, advertisements, tenders, quotations, proceedings, minutes, correspondence, orders, allotment letters etc) for allotment of parking space of Red Cross Bhawan, Hisar. The information may be supplied for the period since 01/04/2019.	संलग्न - 1. उपायुक्त महोदय की स्वीकृति-पेज नं.-1 2. अलॉटमेंट पत्र- पेज नं.-2 3. रैडक्रास भवन के सामने की जगह।
5.	Please supply the certified copy of the terms and conditions of the allotment of the parking space as mentioned in the Para I above.	क्रमांक सं.-02 में दे दिया है।
6.	Please supply the map of the Vishwakarma Dharmshala, Hisar (adjacent to Red Square Market) and copy of letter of allotment for land for this Dharmshala.	सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
7.	Whether shops built by Vishwakarma Dharmshala (as mentioned in para III) are legal or not? Provide documents in this regard. If illegal, then action taken in the matter If no action taken, name and designation of officials who are responsible to take action.	सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

	While applying for driving license in Hisar, every applicant is asked to pay an amount of Rs 400/- on account of getting First aid training. In this regard, please supply the following information against point 8, 9 and 10	
8.	Certified copy of the rules/regulations which prescribe that a person applying for driving licence for two-wheeler is required to get first aid training.	1. परिवहन आयुक्त, हरियाणा चण्डीगढ़ का पत्र-पेज नं.-03
9.	Certified copy of the rules/regulations which prescribe that a person applying for driving license for motor car is required to get first aid training.	2. उपायुक्त महोदय की स्वीकृति-पेज नं.-4 व 5
10.	Certified copy of the rules/regulations which prescribe that a person applying for driving license for LMV-NT-Car is required to get first aid training.	3. भारतीय रैडक्रास सोसायटी हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ का पत्र-पेज नं.-06

यह सूचना क्रं.सं.-08, 09 व 10 से संबंधित है।

संलग्न पेज नं.-01 से 06

Postal order Receipt no. 82964  
27/8/2020

Rajiv

जनसूचना अधिकारी-कम-सचिव,  
जिला रैडक्रास सोसायटी, हिसार।

क्रमांक .....

दिनांक .....

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. नगराधीश एवं जन सूचना अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त हिसार को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. राज्य जन सूचना अधिकारी एवं संयुक्त सचिव, भारतीय रैडक्रास सोसायटी हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ को पत्र क्रमांक-94 दिनांक-27/07/2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

जनसूचना अधिकारी-कम-सचिव,  
जिला रैडक्रास सोसायटी, हिसार।

भारतीय रैडक्रास सोसायटी जिला शाखा हिसार

11

विषय: रैडक्रास परिसर में स्थित पार्किंग स्थल को देने बारे।

रैडक्रास भवन के गेट नं.-2 के अंदर पार्किंग स्थल बनाया हुआ है। जिसको पिछले 3 वर्ष से सर्वोदय हस्पताल व सीएमसी हस्पताल को दी हुई हैं। जून 2016 से 30 मई 2017 तक का पार्किंग स्थल का किराया 3 लाख 20 हजार रुपये पर दी हुई थी। उपरोक्त पार्किंग स्थल देने बारे तत्कालीन उपायुक्त एवं प्रधान महोदय की स्वीकृति (पताका-क) के अनुसार।

जून 2017 से आगे के लिय यह पार्किंग स्थल लेने बारे सर्वोदय हस्पताल व सीएमसी हस्पताल से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है कि रैडक्रास भवन के सामने नया पुल बन रहा है। जिसके कारण सामान्य सड़क पर अवरोध उत्पन्न हो रहा है तथा अनुरोध किया है कि आगे भी यह पार्किंग स्थल उपरोक्तवर्णित दोनों हस्पतालों को उपलब्ध करवा दिया जाए। उपायुक्त एवं प्रधान महोदय उचित समझे तो पिछले वर्ष दी गई राशि पर 10% वृद्धि के साथ-साथ टीडीएस इत्यादि अलग से वहन करना होगा व सर्वोदय हस्पताल एवं सीएमसी हस्पताल को पूर्व स्वीकृति एवं नियम/शर्तों के अनुसार आगामी 3 वर्ष के लिए दे दिया जाए। इस पार्किंग के रख-रखाव हेतु खर्च होता है तो वह उपरोक्त हस्पताल वहन करेगा तथा इसको चलाने हेतु जो भी कर्मचारी इत्यादि की आवश्यकता होगी तो उपरोक्त दोनों हस्पताल स्वयं जिम्मेवार होंगे।  
स्वीकृति एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

Rahim  
30/05/17.  
सचिव

उपायुक्त एवं प्रधान महोदय

*ohuf*

उपायुक्त के रूप कार्यालय से कार्यालय  
स्थलों से जपित प्राप्त है किंग  
06/09/2017 का।

DTO for n/a.

Rahim  
06/09/17.

CONSTITUTED UNDER INDIAN PARLIAMENT ACT XV OF 1920  
DISTRICT BRANCH HISAR (HARYANA)

PRESIDENT : Deputy Commissioner, Hisar  
SECRETARY : Ravinder Kumar

Phone No. : 01662-225097  
Website : redcrossharyana.org

RED CROSS BHAWAN  
DELHI ROAD, HISAR-125001  
Email : ircs.hissar@gmail.com

No. RC/..... 2019/20/317  
सेवा में

Dated ..... 26/6/19

प्रबन्धक,  
सर्वोदय हस्पताल, हिंसार।  
एवं  
सोसायटी हस्पताल, हिंसार।

विषय : रैडक्रास परिसर में स्थित पार्किंग बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में उपायुक्त एवं प्रधान, महोदय की स्वीकृति अनुसार आपको रैडक्रास में स्थित पार्किंग एक वर्ष के लिए (1.6.2019 से 31.5.2020) तक दी हुई है। इस पार्किंग में निम्न अनुसार देखरेख व अन्य सुविधा की आपकी जिम्मेवारी होगी।

1. यह है कि यह पार्किंग किसी अन्य व्यक्ति को स्थान्तरित नहीं करेंगे।
2. यह है कि मैं उपायुक्त, हिंसार द्वारा निर्धारित शुल्क साईकिल/रिक्शा 5/- रुपये, मोटरसाईकिल/स्कूटर - 10/- रुपये, कार-जीप व मध्यम वाहन - 20/- रुपये लूंगा। दर लिस्ट पार्किंग स्थल पर लगाना होगा।
4. यह है कि मैं सचिव, जिला रैडक्रास सोसायटी, हिंसार द्वारा निर्धारित स्थान पर ही पार्किंग का कार्य करूंगा। पार्किंग स्थल से बाहर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही पार्किंग स्थल से संबंधित नहीं करेंगे।
5. यह है कि पार्किंगकी अवधि के दौरान वाहन चालकों से लेन देन की पूरी जिम्मेवारी आपकी होगी।
6. यह है कि पार्किंगकी अवधि के दौरान यदि किसी ग्राहक/ आम जनता व कर्मचारों से किसी प्रकार का अशुभ व्यवहार करने तथा इसमें दोषी पाये जाने पर सचिव, जिला रैडक्रास सोसायटी, हिंसार को किसी भी समय पार्किंगबन्द करने का पूरा-पूरा अधिकार होगा।
7. यह है कि पार्किंग की समय अवधि समाप्त होते ही यह पार्किंग स्थल खाली करनी होगी।
8. पार्किंग स्थल की साफ सफाई स्वयं रखनी होगी। इसके अतिरिक्त जो भी जगह पार्किंग स्थल के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी उससे अलग कोई भी जगह पार्किंग के लिए प्रयोग नहीं करेंगे।
11. पार्किंग स्थल के अंदर खड़े वाहनों आदि की चोरी/नुकसान की जिम्मेवारी आपकी होगी। इसमें रैडक्रास सोसायटी, हिंसार की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
12. पार्किंग स्थल में खड़े होने वाले वाहनों की निर्धारित दरों के अनुसार ही उनसे शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा यदि ज्यादा शुल्क लिया जाता है तो होने वाली कार्यवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।
13. पार्किंग की समय अवधि के दौरान किसी प्रकार के न्यायिक/पुलिस विवाद की जिम्मेवारी आपकी की रहेगी।
15. इस पार्किंग से संबंधित जो भी कोई भी सरकारी/गैर सरकारी कर/फीस की देयता बनती है, उसे वहन करने व संबंधित विभाग को जमा करवाने की जिम्मेवारी आपकी रहेगी।
16. किसी भी विवाद पर उपायुक्त एवं प्रधान महोदय का निर्णय अंतिम होगा।

149-Parking

DR. SAHIL POPLI  
C.E.O.  
Sri Hospital, Hisar

RAJ  
MULTISPE  
Opp Red Cross  
Dist. Hisar, Haryana

Ka. L. L.  
सचिव

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार  
TRANSPORT COMMISSIONER, HARYANA, CHANDIGARH  
परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चंडीगढ़

All SDMs (c)-cum Registering and  
Licensing Authorities  
in the State.

17334-94

Memo No. AT-3/ST-1

Dated: 28-3-17

Subject: First Aid Training for drivers.

Please refer to St. John Ambulance (India) Haryana State  
letter No. St.John/2016-17/3517 dated 03.02.2017 on the subject cited  
above.

In this regard, it is apprised that first aid training is  
mandatory for the issuance of the driver and conductor licence as per  
the provisions of Central Motor Vehicles Rules, 1989 and Haryana  
Motor Vehicles Rule, 1993. You are advised to adhere to the above  
mentioned rules at the time of issue of Driver and Conductor licence.

*[Signature]*  
for Transport Commissioner,  
Haryana, Chandigarh.

Endst. No. 17395 AT-3/ST-1

dated: 28-3-17

A Copy of above is forwarded to State Secretary, St. John  
Ambulance (India) Haryana State Center, Sector-16, Chandigarh for  
information.

*[Signature]*  
for Transport Commissioner,  
Haryana, Chandigarh.

*Handwritten notes:*  
Trans. Secy  
28/3/17  
3.30 PM

पूर्व पृष्ठ से आगे :-

सेंट जॉन एम्बुलेंस जिला शाखा हिसार द्वारा चालक लाईसेंस हेतु एक दिवसीय प्राथमिक सहायता (Basic) प्रशिक्षण शिविर शुरू करने हेतु उपायुक्त एवं प्रधान महोदय से 300/- रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी फीस की स्वीकृति ले ली गई है। रैडक्रास की सदस्यता बढ़ाने हेतु अधिकारीगण उचित समझे तो इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को रैडक्रास वार्षिक सदस्य 100/- रुपये के साथ लेने बारे रिपोर्ट प्रस्तुत है। इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षण फीस 300/- रुपये व रैडक्रास वार्षिक सदस्यता फीस 100/- रुपये कुल-400/- रुपये प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से फीस व सदस्यता सहित लेने बारे रिपोर्ट प्रस्तुत है तथा इस बारे में उपायुक्त एवं प्रधान महोदय द्वारा जिले के उपमण्डल अधिकारी (ना.) हिसार, हांसी, बरवाला व नारनौंद को पत्र जारी किया जाना है। पत्र हस्ताक्षर हेतु साथ संलग्न है।

रिपोर्ट आगामी आदेशार्थ प्रस्तुत है।

*Judh Singh*  
6/9/19  
जिला प्रशिक्षण अधिकारी

~~सचिव~~

स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

*Rajesh*  
06/09/19.

उपायुक्त एवं प्रधान महोदय

1. An bho 2. Put up w gmet bnd d

*Am*  
*Ch*

*[Signature]*

DTO/Acett

*Rajesh*

## सैंट जॉन एम्बुलैस (इण्डिया) हिसार

विषय : **PROPOSAL FOR THE RULE FOR BASIC FIRST AID TRAINING FOR DRIVING LICENSE**

उपरोक्त विषय एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-183 दिनांक-12/02/2019 के तहत सैंट जॉन एम्बुलैस (इण्डिया) हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ से पत्र व्यवहार करके सूचना मांगी गई थी कि ड्राइविंग लाइसेंस नया व नवीनीकरण के लिए प्रोफेशनल प्राथमिक सहायता प्रशिक्षण की अवधि बारे बताया जाए। इस संदर्भ में उनके कार्यालय पत्र क्रमांक-5804 दिनांक-22/02/2019 (पताका-क) के तहत इस जिला शाखा को लिखा है कि Proposal for the Rule For Basic First Aid Training for Driving License के प्रशिक्षण हेतु उपायुक्त एवं प्रधान महोदय जिला सैंट जॉन शाखा हिसार में एक दिन की बेसिक फर्स्ट प्रशिक्षण देने की अनुमति ली जा सकती है। यह प्रशिक्षण केवल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मान्य होगा तथा यह भी दर्शाया गया है कि प्राथमिक सहायता प्रोफेशनल प्रमाण-पत्र इस प्रशिक्षण के उपरांत प्रार्थी को सैंट जॉन एम्बुलैस (इण्डिया) राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा जारी नहीं किया जाएगा।

सैंट जॉन एम्बुलैस जिला शाखा हिसार द्वारा एक दिवसीय बेसिक फर्स्ट एड का प्रशिक्षण देने उपरांत जिला शाखा हिसार द्वारा प्रार्थी को यह प्रमाण-पत्र अपने लेवल पर जारी किया जाए। यह प्रमाण-पत्र केवल ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित ही होगा। इस प्रशिक्षण से संबंधित हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ द्वारा एक प्रोफार्मा प्रमाण-पत्र (पताका-ख) हेतु भेजा गया है, प्रोफार्मा का भी अवलोकन करने का कष्ट करें जोकि साथ संलग्न है, के अनुसार ही प्रार्थी को यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाना है। उपरोक्त प्रशिक्षण जिला शाखा फरीदाबाद, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, नारनौल, पानीपत, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, सिरसा, झज्जर व गुरुग्राम में भी शुरू किया हुआ है। राज्य शाखा द्वारा जारी पत्र (पताका-ग) संलग्न है।

अधिकारीगण उचित समझे तो एक दिवसीय बेसिक प्राथमिक सहायता के प्रशिक्षण की फीस 300/- रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी जिसमें प्रमाण-पत्र की कीमत, प्रवक्ता का मानदेय शामिल होगा। इसके अतिरिक्त हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ द्वारा जारी पत्र क्रमांक-1842-1863 दिनांक-03/07/2019 (पताका-घ) के तहत प्रवक्ता का मानदेय अधिकतम 30/- रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से उपायुक्त एवं प्रधान महोदय की स्वीकृति से दिया जा सकता है। यह मानदेय 15/- रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से प्रस्तावित किया जाता है। हरियाणा राज्य शाखा द्वारा फीस व मानदेय के बारे में और कोई हिदायत जारी होती है तो पुनः उपायुक्त एवं प्रधान महोदय की सेवा में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण उपमण्डल अधिकारी (ना.) हिसार के लिए रैडक्रास भवन हिसार, उपमण्डल अधिकारी (ना.) नारनौद व हांसी के लिए सहमति अनुसार हांसी व नारनौद में तथा उपमण्डल अधिकारी (ना.) बरवाला के लिए बरवाला में संबंधित उपमण्डल अधिकारी से सम्पर्क करके उचित स्थान देखकर प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा। रिपोर्ट आगामी आदेशार्थ प्रस्तुत है।

*Ludh Singh*  
जिला प्रशिक्षण अधिकारी

F:\J.Datta\OTO word\OTO Part-3 746

सचिव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

*Rajesh*  
26/08/19.

उपायुक्त एवं प्रधान महोदय

A. J. D.

*Q. S. H.*  
29/08/19.

*Rajesh*  
29/08/19.

OTO

*S. S.*

8

THROUGH HUMANITY TO PEACE

# OHN AMBULANCE (INDIA)

## HARYANA STATE CENTRE

RED CROSS BHAWAN, SECTOR-16, CHANDIGARH 160 016

President  
THE GOVERNOR, HARYANA

Vice-President  
THE CHIEF MINISTER, HARYANA

Vice Chairman  
Dr. Mukesh Aggarwal



State Secretary  
D.R. Sharma

Phone: (o) : 0172 2543889, 2546330

Fax : 0172-2546328

(R) : 2747031

www.haryanaredcross.org

e-mail : haryanastateredcross@gmail cc

*528*  
*01/3/19*

St. John/Ruling/HR/2018-19/ *5804*

Dated 22-02-2019

Chief Secretary,  
District St. John Centre,  
Hisar (HR).

*DTO*  
*Rajiv*  
*01/03/19.*

Subject : PROPOSAL FOR THE RULE FOR BASIC FIRST AID TRAINING FOR DRIVING LICENSE.

1. Reference your office letter No. St. John/2018-19/183 dated 12-02-2019 on the subject cited above.
2. It is intimated that you may obtain permission from the Deputy Commissioner-cum-President, District St. John Centre, Hisar for the One Day Basic First Aid Training for the candidates who want to obtain Driving License only.
3. First Aid professional certificates will not be issued to the candidates of this training by the St. John Ambulance (India), National Headquarters, New Delhi. District St. John Centre, Hisar may issue Basic First Aid training certificates to the candidates for Driving License at their own level with the approval of Deputy Commissioner. A copy of the approval may also be sent to this office.

*[Signature]*  
State Secretary